

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2001

का. आ. 544(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 2 जुलाई, 1998 की अधिसूचना सं०सां० आ०549 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ठाकरसी चैरिटेबल ट्रस्ट, जय-शैफली रॉ हाउसिस के पीछे, आफिस सेटेलाइट रोड, अम्बावाडी, अहमदाबाद-15 द्वारा अम्बावाडी, अहमदाबाद में उपस्करों की खरीद तथा अस्पताल के विकास/अद्यतन करने को पात्र परियोजना एवं स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए कम संख्या 3 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है ;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 118 के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ठाकरसी चैरिटेबल ट्रस्ट, जय-शैफली रॉ हाउसिस के पीछे, आफिस सेटेलाइट रोड, अम्बावाडी, अहमदाबाद-15 द्वारा चलाई जा रही अम्बावाडी, अहमदाबाद में उपस्करों की खरीद तथा अस्पताल के विकास/अद्यतन करने की स्कीम अथवा परियोजना को निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र चौसठ लाख रुपये की अनुमानित लागत तथा पचास लाख रुपये की कार्पस निधि पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 158/2001/फा. सं. एन. सी.-61/2001]

पोमिला बी. प्रसाद, निदेशक (रा. स.)